विषयः—झाँसी मंडल में स्टायफण्ड के आधार पर अप्रै0 टैक्नी—।।।/विधुत/टी.आर.डी.(पी.एस.आई.) के पद पर प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में।

रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद द्वारा चयनित टैक्नी—।।।/विधुत/टी.आर.डी.(पी.एस.आई.) के पद पर जिसकी कोटि सं 53 एवं रोजगार सूचना सं0—01/2018 है। निम्नलिखित शर्तो पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव है—

1. आपके आवेदन पत्र में दी गई आपकी जन्मतिथि एवं अन्य विवरण की पुष्टि में अपने साथ सेकेन्ड्री स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट/मैट्रीकुलेशन सर्टिफिकेट, हाईस्कूल बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट मूल रुप से लाना होगा तथा प्रत्येक प्रपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी।
2. नियुक्ति के पूर्व आपको भारत और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।
3. आपके द्वारा प्रस्तुत शिक्षा, जाति अथवा अन्य प्रमाण पत्र सर्विस के दौरान फर्जी पाये जाते है तो 14 दिन का नोटिस देकर आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
4. यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में कार्यरत है तो आप कार्यरत वर्तमान विभाग से स्वीकृत त्यागपत्र/स्वीकृत तकनीकी त्यागपत्र सहित भारमुक्त होकर ही ट्रेनिंग/नियुक्ति के लिये उपस्थित हो।
5. सरकारी सेवा की अपरिहार्यता और रेल प्रशासन की आवश्यकताओं के अन्तर्गत आपको कभी भी उत्तर मध्य रेल के किसी भी स्टेशन पर नियुक्त किया जा सकता है।
6. आपको रेल कर्मचारी आचरण नियम एवं रेल कर्मचारियों एवं आपकी सेवा संबंधित अन्य रेल नियम/उप नियमों का पालन करना होगा।
7. आपको हाल ही का खिंचा हुआ फोटो 4 प्रतियों में लाना होगा।
8. आपको नियुक्ति उपरांत वेतन देने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। अतः इसके लिए 1. बैंक का नाम 2. शाखा का नाम 3. खाता संख्या 4. आई.एफ.एस.सी. कोड या कैंसिलेशन चैक 5. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति के साथ इनका विवरण एक पेपर पर टाईप कराके उस पर आपके हस्ताक्षर एवं पता सहित प्रस्तुत करना होगा।
9. प्रशिक्षण के उपरांत किसी परीक्षार्थी को किसी भी पद कम से कम 05 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी/प्रशिक्षार्थी प्रशासन की सेवा के 05 वर्ष पूरे नही करता है या उसके बस के बाहर के अतिरिक्त अन्य कारणो से प्रशिक्षण छोडना चाहता है या कोई चालाकी अपनाता है तो उसे प्रशिक्षण का संपूर्ण व्यय एवं प्रशिक्षण काल में भुगतान किए गये वजीफे/वेतन आदि की संपूर्ण राशि वापिस करनी होगी।
10. प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व ऐसे व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति बांड तथा एक मिलीजुली जमानत की बांड रुपये 100 का विशेष एडहेसिव टिकिट लगाते हुए संलग्न फार्म पर भरना होगा ताकि उपर्युक्त शर्तो के पालन न होने पर प्रशिक्षण व्यय ऊपर बताये गये अनुसार भुगतान की गयी राशि की वसूली की जा सके।
11. यदि आपको उपर्युक्त शर्ते मंजूर हो तो आप इस कार्यालय में दिनॉक—08.09.2020 को आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों सहित अन्य औपचारिकताओं के लिए उपस्थिति हो।

यदि आप आवश्यक प्रलेखों के साथ इस कार्यालय में दिनॉक—08.09.2020 को उपस्थिति न हो सकें तो ये माना जायेगा कि प्रस्तावित नियुक्ति आपको स्वीकार नही है तथा यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

Scanned with CamScanner